संख्या:8/2015/64 बी0पी0/35-1-2015

प्रेषक,

जे.बी.सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ :दिनांक: 25 मार्च, 2015

विषय: बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजना हेतु धनराशि की अवमुक्ति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–154बी0पी0/35-1-2014, दिनांक 25 जून, 2014 के अनुक्रम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि संदर्भित शासनादेश के पृष्ठांकन में "13-मुख्य कोषाधिकरी जवाहर भवन लखनऊ" पढा जायेगा । अन्य शर्ते/प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेगें।

2- संदर्भित शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय,

(जे.बी.सिंह)
विशेष सचिव

संख्या–8 /2015/64 बीपी (1)/35-1-2015 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-प्रधान महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2-महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।
3-प्रमुख सचिव, पशुधन विभाग।
4-प्रमुख सचिव, वित्त विभाग।
5-निजी सचिव, मा. मुख्य मंत्री जी।
6-मण्डलायुक्त, झांसी/चित्रकूट धाम।
7-जिलाधिकारी, झांसी / ललितपुर/ जालौन/ हमीरपुर/ बांदा/ महोबा/ चित्रकूट।
8-मुख्य विकास अधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/ हमीरपुर/ बांदा/ महोबा/ चित्रकूट।
9-कोषधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/ हमीरपुर/ बांदा/ महोबा/ चित्रकूट।
10-गार्ड फाईल ।
11-वित्त व्यय नियंत्रण, अनुभाग-5
12-जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, झांसी/ ललितपुर/ जालौन/ हमीरपुर/ बांदा/ महोबा/ चित्रकूट।
13-मुख्य कोषाधिकरी जवाहर भवन लखनऊ।

आज्ञा से

(जे.बी.सिंह)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in